पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 16171/2021

==========

श्री भोला बिंद का पुत्र शनिचर बिंद; निवासी मोहल्ला-मोहनपुर, थाना-जमालपुर, जिला-मुंगेर।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. सरकार के उप सचिव, शहरी विकास विभाग, पटना।

3. संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।

4. जिला दंडाधिकारी, मुंगेर।

5. नगर निगम मुंगेर अपने नगर आयुक्त, मुंगेर के माध्यम से।6. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।

..... प्रतिवादीगण

==========

A. भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-विलंब और कमी/शिथिलता-7 सालों की अत्यधिक देरी-इस तरह की याचिका पर विचार करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं-समता सतर्क लोगों की सहायता करती है न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों के प्रति सोये रहते हैं-याचिका-खारिज किए जाने योग्य है। (संदर्भितः- *चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और*

सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टी. टी. मुरली बाबू (2014) 4 एस. सी. सी. 108; उत्तरांचल और अन्य राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी और अन्य 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6627; सी. जैकब बनाम भूविज्ञान और खनन निदेशक और अन्य ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 264; जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम आर. के. जलपुरी और अन्य ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 3006; तमिलनाडु राज्य बनाम शेषाचलम (2007) 10 एस. सी. सी. 137; पी. एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य (1975) 1 एस. सी. सी. 152; नरेश कुमार बनाम परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 525) (कंडिका-5,6 और 8).

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 16171/2021

==========

श्री भोला बिंद का पुत्र शनिचर बिंद; निवासी मोहल्ला-मोहनपुर, थाना-जमालपुर, जिला-मुंगेर।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. सरकार के उप सचिव, शहरी विकास विभाग, पटना।

3. संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।

4. जिला दंडाधिकारी, मुंगेर।

5. नगर निगम मुंगेर अपने नगर आयुक्त, मुंगेर के माध्यम से।6. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।

..... प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति-

याचिकाकर्ता के लिए : श्री संजय कुमार अधिवक्ता,

राज्य के लिए : श्री सुभाष प्रसाद सिंह, जी. ए.-3;

श्री इन्देश्वरी प्रसाद मंडल, जी. ए.-3 के ए. सी.

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय:-

तारीखः24-01-2024

वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई हैः-

(i) ज्ञापन सं.- 10342 दिनांक 28.07.2014 को निरस्त करने के लिए एक उपयुक्त आदेश, निर्देश और रिट जारी करने के लिए जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता की सफाई कुली के रूप में सेवा को इस आधार पर कि यह 02.08.1998 और 03.08.1998 दिनांकित विज्ञापन के खिलाफ था, समाप्त कर दिया गया हैं।

(ii) याचिकाकर्ता को नगर निगम, मुंगेर में सफाई कुली के रूप में बहाल करने और उसे एल. पी. ए. संख्या- 624/2013 में दिनांक 23.01.2014 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश और विशेष रूप से आदेश के अंतिम लेकिन एक पैराग्राफ में जो इस प्रकार है "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि किसी भी प्रतिवादी की नियुक्ति वैध पाई जाती है तो वह वरीयता के अनुसार बकाया वेतन देने के लिए प्रतिवादी को एक उचित आदेश, निर्देश और रिट जारी करने के लिए, पिछले वेतन आदि सहित इसके सभी पहलुओं पर बहाली और निरंतरता सेवा का हकदार होगा।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी-नगर निगम, मुंगेर ने 02.08.1998 और 03.08.1998 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें विभिन्न पदों पर चतुर्थ वर्गीये कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था और उसे दिनांक

09.11.1999 के पत्रानुसार सफाई कुली के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता आ रहा था। हालाँकि, शहरी विकास विभाग के उप सचिव द्वारा कार्यकारी अधिकारी, मुंगेर नगर परिषद को अचानक एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन विशेष अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति अवैध थी, इसलिए यह निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता सहित उक्त 23 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, जिसके बाद कार्यकारी अभियंता, मुंगेर नगर परिषद ने याचिकाकर्ता सहित उक्त 23 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया था, जिसे दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.- 8888/2006 में चुनौती दी गई थी।

3. इस बीच, उप सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार, पटना ने इस मामले पर नए सिरे से विचार किया और एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि वर्ष 1999 में किए गए उक्त 23 कर्मचारियों की नियुक्ति हालांकि विशेष अधिकारी, मुंगेर नगर परिषद द्वारा की गई थी, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। उक्त दिनांकित 31.08.2009 आदेश को याचिकाकर्ता और अन्य लोगों द्वारा दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.- 11436/2009 दाखिल करके चुनौती दी गयी थी, जिसे इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा दिनांकित 25.07.2011 के एक आदेश द्वारा निपटाया गया था और मामले को कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने के लिए उप सचिव, शहरी विकास विभाग को वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद उप सचिव, शहरी विकास विभाग के सचिव, फिर यह कहते हुए कि तत्कालीन विशेष अधिकारी, मुंगेर नगर परिषद द्वारा वर्ष 1999 में की गई उपरोक्त नियुक्तियां विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित श्रेणीवार कोटे के आधार पर नहीं की गई थीं, कोई रोस्टर मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी, कोई साक्षात्कार बोर्ड का गठन नहीं किया गया था और कोई योग्यता सूची तैयार नहीं की गई थी, इसलिए अवैध हैं एक आदेश दिनांक 10.10.2011 को पारित किया था ।

4. उपरोक्त आदेश दिनांक 10.10.2011 को तब याचिकाकर्ता और अन्य लोगों द्वारा दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या-383/2012 वाली एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई, जिसे एक आदेश दिनांक 14.09.2012 द्वारा अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता को अन्य लोगों के साथ सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि, उक्त आदेश दिनांक 14.09.2012 को एल. पी. ए. संख्या- 624/2013 वाली अपील में चुनौती दी गयी थी और इस न्यायालय की विद्वत खंड पीठ ने दिनांक 23.01.2014 के एक आदेश द्वारा मामले को प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को वापस भेज दिया था, जिन्हें उचित जांच करने और प्रत्येक पदधारी के संबंध में विशिष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष के संबंध में एक तर्कपूर्ण और सकारण आदेश पारित करने के लिए एक वरिष्ठ वर्ग-1 अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया गया था।उक्त आदेश दिनांक 23.01.2014 के अनुसरण में, सरकार के विशेष सचिव द्वारा एक जांच आयोजित की गई थी और उनके द्वारा अपनी जांच प्रतिवेदन/आदेश दिनांक 28.07.2014 में निष्कर्ष दर्ज किए गए थे, हालांकि, जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, यह पाया गया है कि उनकी नियुक्ति एक गैर-विज्ञापित पद के खिलाफ की गई थी, इसलिए उनकी नियुक्ति को कानूनी नहीं माना गया है। यही 28.07.2014 दिनांकित आदेश है जिसे वर्ष 2021 में वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।वर्त्तमान रिट याचिका की पोषणीयता

5. शुरुआत में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने वर्त्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। क्योंकि वर्तमान रिट याचिका लगभग 7 साल की बड़ी देरी के बाद विलम्ब से दायर की गई है।प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में यह अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, संवैधानिक न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, साथ ही साथ खुद को प्राथमिक सिद्धांत पर जीवित रखना चाहिए कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति,

पर्याप्त कारण के बिना, अपने अवकाश या खुशी से अदालत में देर से जाता है, तो रिट न्यायालय को ऐसे आलसी व्यक्ति को कोई छूट देने की आवश्यकता नहीं है और केवल देरी और बाधाओं के आधार पर, रिट न्यायालय को याचिका को शुरू से खारिज कर देना चाहिए। इस संबंध में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया हैः-

"(i) **चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टी. टी. मुरली बाबू, (2014) 4 एससीसी 108** में प्रतिवेदित

(ii) **उत्तरांचल राज्य और अन्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी और अन्य 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6627** में प्रतिवेदित।

(iii) **सी. जैकब बनाम निदेशक भूविज्ञान और खनन और अन्य, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 264** में प्रतिवेदित

(iv) **जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम आर. के. जलपुरी और अन्य, ए. आई. आर. 2016 एससी 3006** में प्रतिवेदित

(v) तमिलनाडु राज्य बनाम शेषाचलम, (2007) 10 एस. सी. सी. 137 में प्रतिवेदित।

6. वास्तव में, **पी. एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य, (1975) 1 एस. सी. सी. 152** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी सेवा मामले/पदोन्नति मामले में, एक व्यथित व्यक्ति को कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के कम से कम छह महीने के भीतर या अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए और यह न्यायालयों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए विवेक का एक ठोस और बुद्धिमानीपूर्ण

अभ्यास होगा, उन व्यक्तियों के मामले में जो राहत के लिए तेजी से संपर्क नहीं करते हैं और ऐसी याचिकाओं को सीमित रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी याचिकाओं को सम्पोषित करना न्यायालय के समय की बर्बादी हैं, जो न्यायालय के काम में बाधा डालती हैं और वैध शिकायतों पर विचार करने में न्यायालय के काम को रोकती हैं। **नरेश कुमार बनाम परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 525,** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक और निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय ने लगभग 8 वर्षो के लिए अस्पष्टीकृत देरी और अति विलंब के आधार पर रिट याचिका को खारिज करते समय कोई गलती नहीं की थी। **चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और अन्य** (सुप्रा) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चार वर्ष की देरी के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को देर से चुनौती देना किसी भी अनुग्रह के योग्य नहीं है और केवल देरी के आधार पर, रिट न्यायालय को याचिका को शुरू से तक खारिज कर देना चाहिए था।

7. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

8. निर्णयों के एक समूह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करते हुए जैसा की ऊपर कहा गया है - साथ ही "समानता सतर्क लोगों की सहायता करता है न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों के प्रति सोये रहते है "उक्त पर भी विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने एक उचित अवधि के भीतर रिट याचिका दायर नहीं की है, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका पर विचार करने के लिए किसी भी कानूनी दायित्व के तहत नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में लगभग 7 साल की अत्यधिक देरी

के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए मैं वर्तमान रिट याचिका को केवल देरी और अति विलंब के आधार पर खारिज करना उपयुक्त और उचित मानता हूं।

9. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

कंचन -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।